भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2932** जिसका उत्तर

गुरूवार, 05 **दिसम्बर**, 2019/14 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों की परिचालनात्मक दक्षता

2932. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

श्री कुलदीप राय शर्माः

डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रमुख और गैर प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन पत्तनों द्वारा संभाले गए आयात और निर्यात का प्रतिशत और मात्रा कितनी रही;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के पत्तनों द्वारा निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों तथा इनके द्वारा अर्जित लाभ या उठाई गई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके द्वारा किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है तथा देश में अल्पविकसित पत्तनों सहित पत्तनों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने क्षमता संवर्धन, परिचालनात्मक दक्षता में सुधार करने और उच्च परिचालन अधिशेष के संदर्भ में बड़े पत्तनों की कोई प्रमुख उपलब्धियां नहीं देखी हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने बड़े पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए इनकी दक्षता तथा उत्पादकता की बेंचमार्किंग संबंधी कोई अध्ययन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) सरकार द्वारा नीति तथा प्रक्रियात्मक परिवर्तनों और आधुनिकीकरण के माध्यम से परिचालनात्मक दक्षताओं में सुधार करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) देश में 12 महापत्तन और लगभग 200 गैर-महापत्तन हैं। महापत्तन पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, जबकि गैर-महापत्तन संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। महापत्तनों और गैर-महापत्तनों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान संभाले गए यातायात का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) से (च) महापत्तनों का अवसंरचना विकास एवं क्षमता आवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ नई बर्थों और टर्मिनलों का निर्माण, मौजूदा बर्थों और टर्मिनलों का यांत्रिकीकरण, पत्तन चैनलों में बड़े जलयानों को लाने के लिए डुबाव को और गहरा बनाने के लिए कैपिटल ड्रेजिंग, सड़क एवं रेल संपर्कता का विकास करना आदि शामिल हैं। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महापत्तनों का निष्पादन एवं अर्जित लाभ (प्रचालनात्मक एवं निवल अधिशेष) का ब्योरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। देश के महापत्तनों को अधिक कुशलता के साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) महापत्तनों की कुशलता और उत्पादकता में सुधार लाने और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से तुलनात्मक बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तर्ज पर महापत्तनों की क्षमता एवं उत्पादकता की बैंचमार्किंग करने हेतु अध्ययन चलाया गया था जिसमें 116 पहलों की पहचान की गई थी, जिनमें से 95 को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

(ii) अधिक कुशलता प्राप्त करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय ने कई अन्य नीतिगत पहलें शुरू की हैं जैसे स्टीवडोरिंग एवं तट संभलाई नीति, बर्थिंग नीति, कैप्टिव नीति, सुरक्षा अनापत्ति संबंधी संशोधित दिशानिर्देश और सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए संशोधित मॉडल रियायत करार (एमसीए)।

अनुबंध - I

वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान महापत्तनों का यातायात

('000' टन में)

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल	आयात %	निर्यात %
2016-17	442406	205992	648398	68.23	31.77
2017-18	463957	215414	679371	68.29	31.71
2018-19	486496	212603	699099	69.59	30.41
2019-20 (अप्रैल से अक्तूबर, 2019)	280889	124502	405391	69.29	30.71

वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान गैर-महापत्तनों का यातायात

('000' टन में)

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल	आयात %	निर्यात %
2016-17	355339	129878	485217	73.23	26.77
2017-18	385943	142616	528559	73.02	26.98
2018-19	426140	156448	582588	73.15	26.85
2019-20 (अप्रैल से अक्तूबर, 2019)	215485	78209	293694	73.37	26.63

अनुबंध – II

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महापत्तनों का निष्पादन एवं अर्जित लाभ (प्रचालनात्मक एवं निवल अधिशेष) का ब्यौरा

वर्ष	क्षमता (एमटीपीए)	औसत टर्न अराउंड समय (घंटे)	प्रति पोत बर्थदिवस औसत आउटपुट (टन)	प्रचालनात्मक अधिशेष (करोड़ रु. में)	निवल अधिशेष (करोड़ रु. में)
2016-17 (पुन: निर्धारित क्षमता)	1359.00	82.32	14576	4979.58	2797.48
2017-18	1451.19	64.43	15333	5856.33	3015.77
2018-19	1514.09	59.51	16541	6424.36	2846.40
अप्रैल से अक्तूबर, 2019	1521.82	64.25	15980	3779.26	2498.93

टिप्पणी : मंत्रालय द्वारा महापत्तनों की क्षमता पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बर्थिंग नीति के आधार पुनर्निर्धारित की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान कुल पुनर्निर्धारित क्षमता 1359 एमटीपीए थी।

*****